फर्द अहकाम

राज्य सरकार जरिये तह० बनाम मानता वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 99/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		किया गया तथा एक प्रति वकील वादी को दी गई। पत्रावली वास्ते जवाब / बहस आपत्ति हेतु दिनांक 27/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने लिखित बहस विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति प्रस्तुत पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 2/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	2/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आपत्ति प्रस्तुत के आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस का मनन किया गया। अतः पत्रावली का	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय राज० उ० मा० वि० [illegible] बनाम आमजन वगैरह
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 99/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		अवलोकन करने व बहस को मनन करने पर पत्रावली में प्रस्तुत आपत्ति उर्जदारान को खारिज किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक उर्जदारान के तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद का बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कोर्ट से प्राप्त होकर नकल से फर्द के तकमील बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

(1/2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
99/2024	23/07/2024	02/06/2025

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नोनपुरा, जमवारामगढ जिला जयपुर जरिये प्रधानाध्यापक श्री गिरधारीलाल मीना पुत्र जयराम मीना।

वादी

बनाम

1. नानगा पुत्र कल्याण
2. लाला पुत्र बदरी
   जाति मीणा निवासी नोनपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेश शर्मा :— वकील वादी।
श्री राजेश कुमार पारीक :— प्रतिवादी सं0 1 व 2

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 214 रकबा 0.5800है0, खसरा नम्बर 216 रकबा 1.3800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9600है0 ग्राम नोनपुरा, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं मौके कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 06.03.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की तथा वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। जिन्हे शामिल मिसल किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रेजात पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नोनपुरा, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
138	नानगा पुत्र कल्याण हि0 1/5 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन बीओआई कानोता, लाला पुत्र बदरी हि0 3/5 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा कूकस, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नोनपुरा हि0 1/5 खातेदार।	214 216	0.58 1.38	बंजड चाही 1	0.58 31.74
	योग	किता 2	1.96	–	32.32

–: प्रस्तावित :–

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नोनपुरा खातेदार	214/1 216/1	0.01 0.3820	बंजड चाही 1	0.01 8.7860
	योग	किता 2	0.3920	–	8.7960
2	नानगा पुत्र कल्याण 1/4 राहिन बीआईआई कानोता, लाला पुत्र बदरी 3/4 मीणा सा0देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा कूकस	214/2 216/2	0.57 0.9980	बंजड चाही 1	0.57 22.954
	योग	किता 2	1.5680	–	23.5240

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी–जयपुर
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

राज0उ0मा0वि0 नोनपुरा

बनाम

नानगा वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 99/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री महेश शर्मा अधिवकता वादी व श्री राजेश कुमार पारीक अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1, 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नोनपुरा, पटवार हल्का राहोरी, तहसील जवमारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
138	नानगा पुत्र कल्याण हि0 1/5 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन बीओआई कानोता, लाला पुत्र बदरी हि0 3/5 जाति मीणा सा0देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा कूकस, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नोनपुरा हि0 1/5 खातेदार।	214 216	0.58 1.38	बंजड चाही 1	0.58 31.74
	योग	किता 2	1.96	–	32.32

–: प्रस्तावित :–

कम संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नोनपुरा खातेदार	214/1 216/1	0.01 0.3820	बंजड चाही 1	0.01 8.7860
	योग	किता 2	0.3920	–	8.7960
2	नानगा पुत्र कल्याण 1/4 राहिन बीआईआई कानोता, लाला पुत्र बदरी 3/4 मीणा सा0देह खातेदार राहिन पंजाब एण्ड सिन्ध बैक शाखा कूकस	214/2 216/2	0.57 0.9980	बंजड चाही 1	0.57 22.954
	योग	किता 2	1.5680	–	23.5240

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 02/06/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़-जयपुर